

भारत सरकार  
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं.1821  
01 अगस्त, 2024 को उत्तर देने के लिए

**पीएमएफएमई योजना**

**1821. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में विशेषकर डॉ. बी. आर. अम्बेडकर कोनासीमा जिले में प्राधनमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत स्थापित साझा अवसंरचना/मूल्य शृंखला/इनक्यूबेशन केन्द्रों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में विशेषकर डॉ. बी. आर. अम्बेडकर कोनासीमा जिले में उक्त योजना के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार के पास उपर्युक्त योजना के लिए संवर्धनात्मक अभियान/जागरूकता अभियान चलाने की कोई योजना/परियोजनाएं/पहल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री  
(श्री रवनीत सिंह)**

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) जून, 2020 से केंद्रीय प्रायोजित - प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना कार्यान्वित कर रहा है। आंध्र प्रदेश राज्य में अब तक इस योजना के तहत स्वीकृत इनक्यूबेशन केंद्रों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. स.	ज़िला	मेजबान संस्थान का नाम	अनुमोदित अनुदान सहायता (लाख में)	जारी अनुदान सहायता (लाख में)
1.	तिरुपति	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)	260.75	238.00
2.	विशाखापट्टनम	आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय इसके क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान स्टेशन, अनाकापल्ले में	350.00	100.00

मंत्रालय को आंध्र प्रदेश के डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा जिले में इन्क्यूबेशन सेंटर के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

**(ख):** पीएमएफएमई योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक इसके विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र हिस्से से 115.77 करोड़ रुपये की निधि जारी की गई है, जिसमें से 101.10 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

वित्तीय वर्ष	जारी की गई निधि में केंद्र का हिस्सा (करोड़ रु)	निधि के केंद्र हिस्से में से किया गया व्यय (करोड़ रु)
2020-21	34.98	0.55
2021-22	23.02	32.94
2022-23	11.52	14.74
2023-24	46.25	52.87
<b>कुल</b>	<b>115.77</b>	<b>101.10</b>

**(ग):** पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, योजना के प्रारम्भ से ही राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जागरूकता अभियान जैसे समाचार पत्र विज्ञापन, रेडियो जिंगल्स, प्रदर्शनियां और एक्सपो, मिलेट मेले, क्रेता-विक्रेता बैठकें आदि के माध्यम से लाभार्थियों के बीच प्रचार करने और जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की गई हैं।

\*\*\*\*\*